

गया है। विधिवत ही किंग गंधर्व लाल बिंदिंग चौक के पास प्रतिदिन काफी भीड़ लगी होती है, वहीं थाना मोड़ के पास भी कंपनियों के वाहनों की वजह से राहगीरों के परेशानी झेलनी पड़ती है। ट्रैफिक सिग्नल लग जाने से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी।

चौका में संताल समाज का सम्मान समारोह 30 को चौका. चौका स्थित फूलो-झानो मोड़ पर गुरुवार को महेंद्र टुडू की अध्यक्षता में संताल समाज की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 30 जनवरी को फूलो-झानो मोड़ में सामाजिक सम्मान समारोह का आयोजन होगा। यह कार्यक्रम संताल समाज के तत्वावधान में होगा। समाज के समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता और माझी बाबाओं को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जायेगा। इस अवसर पर शिलु सारना टुडू, सोमचांद सोरेन, महेंद्र टुडू, घनश्याम मुर्मू, दिलीप मुर्मू, लखन हांसदा, रंजीत माडी, सोमचांद आदि उपस्थित थे।

जिले में बीस सदस्यीय लीगल सर्विस यूनिट फॉर चाइल्ड कमेटी गठित

जमशेदपुर. नालसा के आदेश से बच्चों अधिकार को संरक्षित करने व सहयोग के लिए मानक चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विस यूनिट के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में बीस सदस्यीय लीगल सर्विस यूनिट फॉर चाइल्ड (एलएसयूसी) कमेटी का गठन गुरुवार को किया गया है। इसमें यूनिट के चेयरमैन के रूप में डालसा सचिव राजेंद्र प्रसाद को को मनोनित किया गया है, जबकि लोक अदालत के चेयरमैन को सदस्य, राजेश कुमार श्रीवास्तव को सदस्य, जबकि पैलंड अधिवक्ता के रूप में दिनेश साहू, सुग्री मुर्मू, लक्ष्मी बिरुआ, लीना मोहंती, पुष्पा कुमारी, गौरव पाठक, सुबोध हेंब्रम, दिलीप सिंह, जबकि पारा लीगल वोलंटियर के रूप में एस श्यामा, संजीत दास, प्रभात कुमार सरदार, अरूण रजक, आनंद साव, हिमांशु नायक, बलराम हेंब्रम, छाया मंडल, दोबो चकिया, नीताई चंद्र गोराई, दुली हेंब्रम, जोबा रानी बास्के को शामिल किया गया है।

गांवों में चौक-चाराहों पर तंबाकू सेवन होगा वर्जित : सीएस

सरायकेला. सरायकेला-खरसावां जिले के गांवों में दुकान, चौक-चौराहा, चबूतरे और सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू का सेवन वर्जित रहेगा। सभी पंचायत में कोटपा एक्ट-2023 को लागू किया जायेगा। उक्त बातें सिविल सर्जन डॉ अजय कुमार सिन्हा ने कहीं। उन्होंने कहा कि जिले के सभी पंचायतों को नशा मुक्त क्षेत्र बनाया जायेगा। इसके लिए आने वाले 15 दिनों में सभी पंचायतों में ग्राम स्तरीय पंचायत समिति का गठन किया जायेगा। समिति में मुखिया, आंगनवाड़ी सेविका, शिक्षक, सहिया व गांव के सम्मानित व्यक्तियों को सदस्य बनाया जायेगा। समिति की देख-रेख में गांव में नशा मुक्ति को लेकर कई कार्यक्रम किये जायेंगे।

पुरस्कार के साथ विजयी प्रतिभागी।

आइडीटीआर

आदित्यपुर. अरका जैन विवि में आयोजित दो दिवसीय टेक्निका में आइडीटीआर की छात्राओं ने सिंगिंग, डांसिंग व टग ऑफ वार में प्रथम पुरस्कार जीता। सिंगिंग में अंकिता चौधरी, डांसिंग में शिवानी तिवारी व श्रुति कुमारी व टग ऑफ वार में रिया

रजक, शकुंतला महतो; रिति प्रधान, काजल दास, अविनाश कौर, अदिति वर्मा, सलौनी व मानसी ने भाग लिया था। इस अवसर पर संस्थान के ट्रेनिंग हेड राम बाबू वर्मा ने छात्राओं का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है। बच्चों का नेतृत्व पंकज कुमार व प्रितेश ठाकुर ने किया।

यूको बैंक
भारत सरकार का उपक्रम
भारत सरकार का उपक्रम



UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)
Honours Your Trust

जुगसलाई शाखा
स्टेशन रोड, 121 वीर कुंवर सिंह चौक,
जुगसलाई, जमशेदपुर-831006

कब्जा सूचना [धारा 13(4)] (अचल सम्पत्तियों के लिए)

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि वितीय सम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का नियम 54) के अन्तर्गत एवं उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) संपादित नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोस्तताक्षरी, जो कि यूको बैंक, जुगसलाई शाखा, जमशेदपुर के प्राधिकृत अधिकारी हैं, ने ऋणी श्री अमित कुमार, पुत्र श्री अजीत कुमार सिंह, गाँव-घाघीडीह, पो० करनडीह, थाना- बागबेड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड-831002 एवं श्रीमती संगीता कुमारी, पत्नी श्री अमित कुमार, गाँव-घाघीडीह, पो० करनडीह, थाना- बागबेड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड-831002 को बकाया राशि रु. 32,41,305.09 (रुपये बत्तीस लाख इकतालीस हजार तीन सौ पचास एवं पैसे नौ मात्र) (20.07.2024 तक के ब्याज सहित), सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए डिमांड नोटिस दिनांक 19.08.2024 को भेजी थी।

ऋणकर्ता ने तदनुसार ऋण राशि का भुगतान नहीं किया है। अतः एतद् द्वारा, विशेष कर ऋणी तथा सामान्य रूप से सभी लोगों को यह सूचना दी जाती है कि निचे वर्णित सम्पत्तियों को उपर वर्णित अधिनियम की धारा 13 (4) संपादित नियम 8 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 21 नवम्बर 2024 को कब्जे में ले लिया है।

ऋणकर्ता को विशेष रूप से तथा आम लोगों को सामान्य रूप से आगाह किया जाता है कि इन सम्पत्तियों का कोई सौदा न करें। उक्त सम्पत्तियों के संबंध में किसी प्रकार के लेन-देन करने पर बकाया राशि रु. 32,41,305.09 (रुपये बत्तीस लाख इकतालीस हजार तीन सौ पचास एवं पैसे नौ मात्र) में किसी प्रकार के लेन-देन करने पर बकाया राशि रु. 32,41,305.09 (रुपये बत्तीस लाख इकतालीस हजार तीन सौ पचास एवं पैसे नौ मात्र) (20.07.2024 तक के ब्याज सहित) दिनांक 20.07.2024 तक, यूको बैंक, जुगसलाई शाखा, जमशेदपुर के देयताओं के अधीन होगा एवं जिसमें कोई भी जमा राशि घटा दी जायेगी और कोई भी ब्याज या शुल्क आगे जोड़ा जायेगा।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

श्री अमित कुमार, पुत्र श्री अजीत कुमार सिंह के नाम पर बंधक एक भूमि संपत्ति जिसमें आरसीसी छत वाली आवासीय इमारत जिसमें ग्राउंड फ्लोर + मेजेनाइन + प्रथम तल है। जिसका सेल डीड संख्या 5420, दिनांक 18.11.2013 जो स्थित है मौजा - घाघीडीह, थाना बागबेड़ा, थाना नंबर 1169, हल्का नंबर 11, प्लॉट नंबर 5032 के भाग में खाता नंबर 629 के तहत दर्ज है, जिसका भूमि क्षेत्रफल 1564 वर्ग फीट यानी 3.58 डिसिमिल रैयती यास भूमि, जमशेदपुर, जिला - पूर्वी सिंहभूम में, जिसकी चौहद्दी है : उत्तर में - विक्रेता का निज, दक्षिण में - सड़क, पूर्व में - विक्रेता का निज, पश्चिम में - सड़क।

दिनांक : 21.11.2024
स्थान : जमशेदपुर

नोट : ड्रिट / विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

ह/०- प्राधिकृत अधिकारी
यूको बैंक

यूको बैंक
भारत सरकार का उपक्रम
भारत सरकार का उपक्रम



UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)
Honours Your Trust

साकची शाखा
82, टैक रोड, साकची, जमशेदपुर,
पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड-831001

कब्जा सूचना [धारा 13(4)] (अचल सम्पत्तियों के लिए)

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि वितीय सम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का नियम 54) के अन्तर्गत एवं उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) संपादित नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोस्तताक्षरी, जो कि यूको बैंक, साकची (0719) शाखा, जमशेदपुर के प्राधिकृत अधिकारी हैं, ने ऋणी श्रीमती सिनु कौर, पत्नी श्री हरदीप सिंह, फ्लैट संख्या : 7/4, सातवां तल्ला, ब्लाक बी, सनराईज इन्वलेव, सुधा डायरी के सामने, आदित्यपुर, जमशेदपुर-831013, पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड एवं श्री हरदीप सिंह, पुत्र श्री त्रिलोचन सिंह, फ्लैट संख्या : 7/4, सातवां तल्ला, ब्लाक बी, सनराईज इन्वलेव, सुधा डायरी के सामने, आदित्यपुर, जमशेदपुर-831013, पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड को बकाया राशि रु. 44,86,510.00 (रुपये चौबालीस लाख छियासी हजार पाँच सौ बस मात्र दिनांक 30.04.2024 तक के ब्याज सहित) 29.08.2024 तक तथा उक्त राशि पर सविवात्मक वर पर मावी ब्याज, साथ ही 01.05.2024 से उस पर आकस्मिक ब्याज, लागत, शुल्क आदि सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए डिमांड नोटिस दिनांक 07.09.2024 को भेजी थी।

ऋणकर्ता ने तदनुसार ऋण राशि का भुगतान नहीं किया है। अतः एतद् द्वारा, विशेष कर ऋणी तथा सामान्य रूप से सभी लोगों को यह सूचना दी जाती है कि निचे वर्णित सम्पत्तियों को उपर वर्णित अधिनियम की धारा 13 (4) संपादित नियम 8 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 21 नवम्बर 2024 को कब्जे में ले लिया है।

ऋणकर्ता को विशेष रूप से तथा आम लोगों को सामान्य रूप से आगाह किया जाता है कि इन सम्पत्तियों का कोई सौदा न करें। उक्त सम्पत्तियों के संबंध में किसी प्रकार के लेन-देन करने पर बकाया राशि रु. 44,86,510.00 (रुपये चौबालीस लाख छियासी हजार पाँच सौ बस मात्र दिनांक 30.04.2024 तक के ब्याज सहित) 29.08.2024 तक तथा उक्त राशि पर सविवात्मक वर पर मावी ब्याज, साथ ही 01.05.2024 से उस पर आकस्मिक ब्याज, लागत, शुल्क आदि यूको बैंक, साकची (0719) शाखा, जमशेदपुर के देयताओं के अधीन होगा एवं जिसमें कोई भी जमा राशि घटा दी जायेगी और कोई भी ब्याज या शुल्क आगे जोड़ा जायेगा। ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की उप-धारा (8) की धारा 13 के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जो प्रतिभूत सम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के बारे में है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

अनुसूची : सनराइज इन्वलेव ब्लॉक बी में 7 वें तल्ला पर आवासीय फ्लैट संख्या 7/4 का समस्त भाग जिसका सुपर निर्मित क्षेत्रफल 1637 वर्ग फुट, जिसमें तीन शयनकक्ष, दो शौचालय, एक रसोईघर, दो बालकनी, एक कार पार्किंग स्थल के साथ डाइंग-सह-डाइनिंग हॉल और साथ में 120 वर्ग फुट भूमि का अविभाजित आनुपातिक हिस्सा अनुसूची 'ए' में, जिला सरायकेला-खरसावां, जिला अवर निबंधन कार्यालय सरायकेला, आदित्यपुर, थाना-आदित्यपुर में प्लॉट संख्या नया 252 (पी), प्लॉट संख्या (पुराना) 66, 67, 69, खाता संख्या नया 257, पुराना 89, मौजा- आसगी, थाना-आदित्यपुर, वार्ड संख्या 04, थाना 126, झारखंड में स्थित 11.65 डिसिमिल बाला वह सारा जमीन का टुकड़ा और पार्सल जिसमें जगह / मार्ग, लाभ विशेषाधिकार, सेवा का पट्टा हित, पानी बिजली सहित सुविधाएँ सहित सभी सरचनाएँ शामिल हैं जिसकी चौहद्दी : उत्तर - फ्लैट संख्या 7 / 5, दक्षिण - आसमान के लिए खुला, पूर्व - मार्ग और फ्लैट संख्या 7/3, पश्चिम - आसमान के लिए खुला।

दिनांक : 21.11.2024
स्थान : जमशेदपुर

नोट : ड्रिट / विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

ह/०- प्राधिकृत अधिकारी
यूको बैंक

PRABHAT KHABAR

22.11.2024

Detailed information on the fellowship grant, eligibility criteria and application process is available at DBT website- www.dbtindia.gov.in and RCB website- www.rcb.res.in. To apply, interested applicants may kindly visit DBT-RA website- <https://ra.dbtindia.gov.in/> Or Common Fellowship Portal via <https://fellowships.gov.in/>

Interested and eligible applicants from the North East Region are also encouraged to apply.

For any queries, please contact DBT-HRD Project & Management Unit, Regional Centre for Biotechnology at ra.dbt@rcb.res.in.



यूको बैंक
भारत सरकार का उपक्रम
सम्मान आपके विश्वास का

UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)
Honours Your Trust

SAKCHI BRANCH
82, Tank Road, Sakchi, Jamshedpur
East Singhbhum, Jharkhand-831001

POSSESSION NOTICE [SECTION 13(4)] (For Immovable Property)

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the UCO Bank, Sakchi (0719) Branch, Jamshedpur under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred U/S 13 (12) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 07.09.2024 calling upon the Borrower Smt. Ritu Kaur, W/o Mr. Hardeep Singh, Flat No. 7/4, 7th Floor, Sunrise Enclave, Near Sudha Dairy, Adityapur, Jamshedpur-831013, East Singhbhum, Jharkhand and Mr. Hardeep Singh, S/o Mr. Trilochan Singh, Flat No. 7/4, 7th Floor, Block B, Sunrise Enclave, Near Sudha Dairy, Adityapur, Jamshedpur-831013, East Singhbhum, Jharkhand to repay the amount mentioned in the notice, being Rs. 44,86,510.00 (Rupees Forty Four Lakh Eighty Six Thousand Five Hundred Ten only) (Inclusive of Interest upto 30.04.2024) as on 29.08.2024 and future interest at the contractual rate on the aforesaid amount together with incidental expenses, cost, charges, etc thereon w.e.f. 01.05.2024 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her U/S 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 21st day of November, 2024. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the UCO Bank, Sakchi (0719) Branch, Jamshedpur for an amount of Rs. 44,86,510.00 (Rupees Forty Four Lakh Eighty Six Thousand Five Hundred Ten only) (Inclusive of Interest upto 30.04.2024) as on 29.08.2024 and future interest at the contractual rate on the aforesaid amount together with incidental expenses, cost, charges, etc thereon w.e.f. 01.05.2024 and in which any Deposit would be deducted and any interest or charges would be added further). The borrower's attention is invited to the provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

SCHEDULE : All that residential Flat measuring 1637 Sq.ft. super built up area at Block B, Sunrise Enclave in 7th Floor bearing Flat No. 7/4 consists Three Bedrooms, Two Toilets, One Kitchen, Two Balcony, Drawing cum Dining Hall with One Car Parking space and together with undivided proportionate share of land measuring 120 Sq.ft. over the schedule 'A' in the District - Seraikella-Kharsawan, District Sub Registry Office at Serailkella, all that piece and parcel of land measuring 11.65 decimals together with all structures including space / passage, advantage privileges, lease interest of service, amenities including water electricity situated in Adityapur, P.S.-Adityapur bearing Plot No. New 252 (P), Plot No. (Old) 66, 67, 69, Khata No. New 257, Old 89, situated within Mouza - Asangli, P.S.- Adityapur, Ward No. 04, P.S. 126, Jharkhand. **Bounded as follows:** North - Flat No. 7/5, South - Open to Sky, East - Passage and Flat No. 7/3, West - Open to Sky.

Sd/- Authorised Officer
UCO Bank

Date : 21.11.2024
Place : Jamshedpur

नोडल पदाधिकारी वाहन कोषांग-सह- जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची (वाहन कोषांग)

प्रेस विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मतगणना की तिथि दिनांक 23.11.2024 को मतगणना स्थल कृषि उत्पादन बाजार समिति, पंडरा, रांची मतगणना कर्मियों को लाने एवं ले जाने हेतु निम्न सूची अनुसार वाहनों की व्यवस्था की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत है :-

क्र०	स्थल	वाहन सं०	चालक का नाम	मोबाइल नं०
1	समाहरणालय परिसर ब्लॉक-ए	JH01BC5255	राजेश	9162271870
		JH01CF5492	उगन	8969175004
2	बुटी मोड	JH01AA8433	ब्रजेश	8521440237
3	बिरसा चौक	JH01DF4420	सिमल उरांव	8877676690
4	धुर्वा गोल चक्कर	JH01FM8636	पंचम	8409722436
5	कांके ब्लॉक चौक	JH10BF7208	महेंद्र	7319898593
6	डोरण्डा बाजार	JH01FA1379	छोटू	6200715264
7	दुर्गा सोरेन चौक, लोवाडीह, सामलौंग, कांटाटोली	JH01FN1769	अशोक	9384257205
8	टी०आर०आई० मोरहाबादी	JH01DV5578	संतोष	7645033700
9	आई०टी०आई० बस स्टैंड	JH01CK7908	ब्रजेश	9693291455
10	अरगोड़ा चौक से सहजानंद चौक हरमू होते हुए	JH01AQ9015	जमशेद	8084993381
11	कांटीटांड चौक, रातु	JH01FP5991	जय प्रकाश	8252227950
12	सदाबहार चौक, नामकुम	JH01V3328	महानंद	7667508147

नोडल पदाधिकारी, वाहन कोषांग
-सह-
जिला परिवहन पदाधिकारी, रांची

PR 340251 District (24-25)_D

HINDUSTAN TIMES 22.11.2024

